निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 06/2025
दायरा दिनांकः–01.07.2025
निर्णय दिनांकः– 23.12.25

उनवान

1. छीतरलाल आयु 60 वर्ष पुत्र श्यामलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गूण्डला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. जगमोहन आयु 60 वर्ष पुत्र अमरचन्द जाति काछी निवासी ग्राम कछावन
2. माणकचन्द आयु 57 वर्ष पुत्र अमरचन्द जाति काछी निवासी ग्राम कछावन
3. हुकमचन्द आयु 54 वर्ष पुत्र अमरचन्द जाति काछी निवासी ग्राम कछावन
4. दीनानाथ आयु 36 वर्ष पुत्र बद्रीलाल जाति काछी निवासी ग्राम मूण्डला
5. मांगीलाल आयु 40 वर्ष पुत्र बद्रीलाल जाति काछी निवासी ग्राम मूण्डला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी ए. एक्ट

निर्णय दिनांकः– 23.12.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री जगदीश चन्द नागर – प्रार्थी
2. श्री हेमराज कुशवाह – अप्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 251 (क) आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम कछावन तहसील छबडा में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 4.6792 है0 भूमि स्थित है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि खसरा नं. 157 रकबा 4.6792 हैक्टेयर भूमि के दक्षिणी तरफ प्रतिवादीगण 1 ता 3 की भूमि खसरा नं. 160 रकबा 2.2384 हैक्टेयर भूमि स्थित है तथा पूर्वी तरफ प्रतिवादी क्रम 4 व 5 की भूमि खसरा नं. 161 रकबा 0.9232 हैक्टेयर भूमि स्थित है तथा प्रतिवादीगण कम 1 ता 5 की भूमि खसरा नं. 160 व 161 भी पूर्वी तरफ ग्राम मूण्डला से कछावन जाने वाली पक्की सड़क (डामर रोड़) बनी हुयी है प्रतिवादीगण कम 1 ता 5 की भूमि इसी पक्की सड़क से लगी हुयी है। प्रतिवादीगण कम 1 ता 5 की भूमि खसरा नं. 160 व खसरा नं. 161 के उत्तर पश्चिमी तरफ वादी की भूमि खसरा नं. 157 रकबा 4.6792 हैक्टेयर भूमि स्थित है वादी की भूमि पर जाने का रास्ता मूण्डला से कछावन जाने वाले रोड से प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 व प्रतिवादीगण कम 4 व 5 के खेत की मध्य की मेड़ से

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

काश्त में भूमि खसरा नं. 157 रकबा 4.6792 हैक्टेयर भूमि स्थित है। 2

वादी अपनी भूमि पर आता जाता रहा है अपने पूर्वजों के समय से ही निरन्तर रुप से अपने खेत पर जाने का रास्ता बना हुआ था। तथा अपनी भूमि को काश्त करते चले आ रहे थे। भूमि खसरा नं. 160 व भूमि खसरा नं. 161 के मध्य की मेड़ पर स्थित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रतिवादीगण कम 1 ता 5 धनाढ्य एवं प्रभावशाली लोग है जो अपने राजनैतिक प्रभाव का प्रयोग कर वादी की भूमि में आने जाने के रास्ते को पत्थरों का कोट कर बन्द करना चाहते है प्रतिवादीगण कम1 ता 3 ने वादी का रास्ता बन्द करने की गरज से पत्थरों का कोट कर दिया है जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार हासिल नही है।वाद कारण दिनांक 11.06.2025 को पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण व उनके परिवर के सदस्यों द्वारा अवैधानिक तरीके से खसरा नं. 160 व खसरा नं. 161 के मध्य की मेड़ पर बने हुये रास्ते को पत्थरों का अस्थाई कोट बनाकर अस्थाई रूप से बन्द कर दिया है वादी द्वारा प्रतिवादीगण से रास्ता खुलासा करने एवं पत्थरों का अस्थाई कोट हटाने को कहा तो प्रतिवादीगण कम 1 ता 5 द्वारा रास्ता खुलासा करने से स्पष्ट रुपसे मना कर दिया अतः यह दिनांक विनाय दावा कायम की जाती है। वादी काश्तकार पेशा व्यक्ति है तथा वादी का पुरा परिवार खेती पर आश्रित है वादी के पास भूमि खसरा नं. 157 रकवा 4.6797 हैक्टेयर भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि नहीं है उक्त भूमि से ही वादी एवं परिवार का लालन–पालन होता है तथा वादी भूमि खसरा नं. 160 व खसरा नं. 161 के मध्य की मेड़ पर स्थित रास्ते में होकर ही अपने पूर्वजों के समय से अपनी भूमि को काश्त करता चला आ रहा है जिसे प्रतिवादीगण ने बन्द कर दिया है प्रतिवादीगण द्वारा रास्ता बन्द करने के कारण वादी को अपनी भूमि में आने जाने एवं खेती करने का रास्ता स्थाई रूप से बन्द हो गया है वादी को अपनी भूमि पर जाने का अन्य कोई रास्ता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में रास्ता बन्द हो जाने से वादी की भूमि पडत रहने की पूरी पूरी संभावना है अगर वादी की भूमि पड़त रह गई तो वदी का परिवार भूखे मर जायेगा। अतः प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नं. 160 व 161 के मध्य के मेड़ पर स्थित रास्ते को खुलासा करवाकर रास्ते में होकर वादी अपनी भूमि में आने जाने एवं काश्त करने के निए ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने का कानूनी रुप से अधिकारी है। वादी राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक खेतों में जाने के लिए रास्ता दिये जाने बाबत् आदेश की अनुपालना में अपनी भूमि खसरा नं. 157 में आने जाने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए भूमि खसरा नं. 160 व खसरा नं. 161 के मध्य की मेड पर पूर्व से स्थित रास्ते को खुलासा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता स्थाई रुप से दर्ज करवाने का कानूनी रूप से अधिकारी है वादी उक्त रास्ते की एवज में राज्य सरकार अथवा माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की अनुपालना में DLC दर से भुगतान या भूमि के बदले भूमि दिये जाने को तत्पर है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बारई सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 230 नकल जमाबन्दी ग्राम कछावन सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 41 नकल नक्शा ट्रेस नकल जमाबन्दी ग्राम कछावन सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 74 नकल जमाबन्दी ग्राम कछावन सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 02 पेश किया गया। तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट प्राप्त जो शा० मि० है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

हैक्टेयर भूमि स्थित है। 2

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ जवाब में बताया कि वादी की भूमि खसरा संख्या 157 में आने–जाने व ट्रेक्टर इत्यादि लाने–लेजाने का रास्ता वादी के पूर्वजों के समय से खसरा संख्या 158 व 116 में होकर रहा हैं तथा वर्तमान में भी हैं जिसका उपयोग वादी अभी भी करता चला आ रहा हैं और इस वर्ष भी वादी द्वारा अपने खेत में फसलें काश्त की हैं जो उपरोक्त खसरा संख्या 158 व 116 के रास्ते से आ जाकर ही की हैं तथा वादी का रास्ता प्रतिवादी कमांक 1 ता 5 के खेतों में होकर कभी नहीं रहा हैं न ही राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता अंकित हैं तथा कफी वर्षों पूर्व से ही वादी व प्रतिवादी कमांक 1 ता 5 द्वारा अपने–अपने खेतों की मेड़ो पर पत्थर का कोट बनवा रखा हैं जहाँ से वादी को कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। वादी केवल अपना राजनैतिक प्रभाव के आधार पर प्रतिवादीगण के खेतों से रास्ता निकलवाना चाहता हैं जो कानूनन सम्भव नहीं हैं। वादी द्वारा यह दावा केवल प्रतिवादी कमांक 1 ता 5 के खेतों से अतिरिक्त रास्ता बनवाने की सुविधा के लिये प्रस्तुत किया हैं उसे रास्ते की पूर्ण आवश्यकता (Absolute Necessity) नहीं हैं क्योंकि उसका पुराना रास्ता खसरा संख्या 158 व 116 से उपलब्ध हैं इसलिये वादी का वाद कानूनन खारिज किये जाने योग्य हैं। वादी के पास अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध हैं परन्तु फिर भी प्रतिवादी कमांक 1 ता 5 की और से विकल्प में यह कथन हैं कि यदि वादी भूमि के बदले दूगनी भूमि या डीएलसी दर की पाँच गुना राशि देने के लिए तैयार हो तो प्रतिवादी कमांक 1 ता 5 को कोई आपत्ति नहीं हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 251 ए काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से कानूनन खारिज किये जाने योग्य हैं।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सूनी गई बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि ग्राम कछावन में प्रार्थी के खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 4.6792 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि के दक्षिण तरफ प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की भूमि खसरा नम्बर 160 रकबा 2.2384 है0 एवं पूर्वी तरफ अप्रार्थी क्रम 4 व 5 की भूमि खसरा नम्बर 161 रकबा 0.9232 है0 भूमि स्थित है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 की भूमि खसरा नम्बर 160 व 161 के पूर्वी तरफ ग्राम मूण्डला से कछावन जाने वाली सडक बनी हुई है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 की भूमि इसी पक्की सडक से लगी हुई है अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 157 पर जाने का रास्ता अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 की भूमि खसरा नम्बर 160 व 161 की मेड पर होकर है। जिससे प्रार्थी आता जाता रहा है अपने पूर्वजों के समय से अपने खेत पर जाने का रास्ता बना हुआ था खसरा नम्बर 160 व 167 के मध्य मेड पर स्थित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 की भूमि पर आने जाने के रास्ते को पत्थरों का कोट कर बन्द कर दिया है। प्रार्थी के पास भूमि खसरा नम्बर 157 पर जान का अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 157 पर आने जाने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 160 व 161 के मध्य की मेड पर स्थित रास्ते को खुलासा करवाकर राजस्व रिकार्ड रास्ता दर्ज किया जावें। प्रार्थी उक्त रास्ते के बदले डी0एल0सी0 की

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

काश्त में भूमि खसरा नं. 157 रकबा 4.6792 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

दर से दो गुना राशि जमा कराने के लिए तैयार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। प्रार्थी को 12 फुट रास्ता कायम किया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की भूमि पर जाने का रास्ता खसरा नम्बर 158 व 166 की भूमि में होकर रहा है। तथा वर्तमान में भी है जिसका उपयोग वादी अभी भी कर रहा है। इस वर्ष भी प्रार्थी खसरा नम्बर 158 व 116 की भूमि से अपने खेत पर जाकर भूमि काश्त की है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 की भूमि में होकर कभी रास्ता नही रहा है। और ना ही राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता अंकित है। कई वर्षो पूर्व से प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा अपने–अपने खेतों की मेड़ पर पत्थर का कोट बनवा रखा है। जहां से प्रार्थी को कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थीगण के खेतो से अतिरिक्त रास्ता बनावाने की सुविधा के लिए पेश किया है। उसे रास्ता की पूर्ण आवश्यकता नही है। क्यांकि उसका (प्रार्थी) पुराना रास्ता खसरा नम्वर 158 व 166 से उपलब्ध है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी छीतरलाल पुत्र श्यामलाल जाति धाकड निवासी कछावन के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 157 में अपनी जोत तक पहुचने के लिए ग्राम कछावन के खसरा नम्बर 160 रकबा 2.2384 है। में 70x2 = 140 वर्ग मी0 खसरा नम्बर 161 रकबा 0.9232 है0 में 60x2 = 120 वर्ग मी0 एवं खसरा नम्बर 166/172 रकबा 0.5059 है0 में 15x2 = 30 वर्ग मीटर ररास्ते हेतु प्रस्तावित उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि स्वामित्व एवं रहन का विवरण संलग्न जमाबन्दी अनुसार है जो मन्दिर माफी/या सर्वोच्च न्यायालय/अन्य उच्च न्यायालयों के जनहित याचिकाओं के निर्णय/ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत किसी भी प्रकार की प्रति बंन्धित भूमियों की श्रेणी में नही आते है। प्रार्थी की जो तक पहुचने हेतु रास्ते का अभाव है रास्ते हेतु मांग किये गयें उपरोक्त खसरा नम्बरों में मौके पर पूर्व से रास्ता स्थित नही है। रास्ते हेतु मांग किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरों के अतिरिक्त कोई निकटतम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कछावन सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 41 के खसरा नम्बर 157 के खातेदार छीतरलाल पुत्र श्यामलाल जाति धाकड दर्ज है नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कछावन नकल जमाबन्दी ग्राम कछावन सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 74 के खसरा नम्बर 156 व 161 के खातेदार अप्रार्थी क्रम 4 व 5 का नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कछावन सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 2 के खसरा नम्वर 160 अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं नक्शा के अनुसार प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 157 के पूर्व में खसरा नम्बर 161 एवं दक्षिण में खसरा नम्वर 160 की भूमि है। प्रार्थी अपने खाते की भूमि पर जाने के लिए खसरा नम्वर 160 व 161 की मेड से 12 फिट चौडा रास्ता कायम करवाना चाहता है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के अनुसार भी खसरा नम्बर 160 व 161 की मेड के अलावा अन्य कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता नही होना बताया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं.

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

66/172 खसरों का कुछ हिस्सा भी चाहे गये रास्ते मे आता है। परन्तु यह सडक के लगवा है तथा सडक भूमि मे ही निहित है। उपरोक्त के क्रम में प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि से मूण्डला कछावन रोड तक आत्यंतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते के अभाव के कारण तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 157 रकबा 4.6792 है0 भूमि पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 160,161 व खसरा नम्बर 166/172 के मध्य मेड पर होकर 12 फिट चौडा रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है। उक्त रास्ते के बदले प्रार्थी को वर्तमान डी0एल0सी0 दर का दो गुना राशि तहसील कार्यालय में जमा करसवें। तहसीलदार छबडा प्राप्त राशि का भुगतान सम्बन्धित खातेदारान को नियमानुसार किया जावें। बाद नियमानुसार भुगतान प्रक्रिया अपनाने पर, रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)